अध्याय 3

प्रत्यक्ष कर

आय-कर

धारा 2 का संशोधन।

3. आय-कर अधिनियम की धारा 2 में,—

(क) खंड (1क) में स्पष्टीकरण 2 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण 1 अप्रैल, 2009 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"स्पष्टीकरण 3— इस खंड के प्रयोजनों के लिए, नर्सरी में उगाए गए पौधों या पौध से व्युत्पन्न कोई आय कृषि आय समझी जाएगी;";

(ख) खंड (15) के स्थान पर निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2009 से रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(15) "पूर्त प्रयोजन" के अंतर्गत गरीबों की सहायता, शिक्षा, चिकित्सा सहायता और किसी सामान्य लोक उपयोगी अन्य उद्देश्य को अग्रसर करना भी है :

परंतु सामान्य लोक उपयोगी अन्य उद्देश्य को अग्रसर करना पूर्त प्रयोजन नहीं होगा यदि उसमें किसी उपकर या फीस या किसी अन्य प्रतिफल के लिए व्यापार, वाणिज्य या कारबार की प्रकृति का कोई क्रियाकलाप या किसी व्यापार, वाणिज्य या कारबार के संबंध में कोई सेवा प्रदान करने का कोई क्रियाकलाप करना अंतर्वलित है भले ही ऐसे क्रियाकलाप से आय के उपयोग या उपयोजन या प्रतिधारण की कोई भी प्रकृति हो;' ।

धारा 10 का संशोधन ।

4. आय-कर अधिनियम की धारा 10 में,—

1997 का 26

(क) खंड (26कक), जिसका वित्त अधिनियम, 1997 द्वारा लोप कर दिया गया है, के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 अप्रैल, 1990 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

'(26ककक) ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो सिक्किमी है, उसे निम्नलिखित से प्रोद्भूत या उद्भूत कोई आय—

(क) सिक्किम राज्य में किसी स्रोत से ; या

(ख) लाभांश या प्रतिभूतियों पर ब्याज के रूप में :

परंतु इस खंड की कोई बात ऐसी किसी सिक्किमी स्त्री को लागू नहीं होगी जो 1 अप्रैल, 2008 को या उसके पश्चात् ऐसे किसी व्यष्टि से विवाह करती है जो सिक्किमी नहीं है ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "सिक्किमी" से,—

(i) ऐसा कोई व्यष्टि अभिप्रेत होगा जिसका नाम 26 अप्रैल, 1975 के ठीक पूर्व सिक्किम प्रजा नियम, 1961 के साथ पठित सिक्किम प्रजा विनियम, 1961 के अधीन रखे गए रजिस्टर में (जिसे इसमें इसके पश्चात् "सिक्किम प्रजा रजिस्टर" कहा गया है) अभिलिखित है ; या

(ii) ऐसा कोई व्यष्टि अभिप्रेत होगा जिसका नाम भारत सरकार के आदेश सं0 26030/36/90-आई.सी.आई., तारीख 7 अगस्त, 1990 और 8 अप्रैल, 1991 के उसी संख्या के आदेश के आधार पर सिक्किम प्रजा रजिस्टर में सम्मिलित किया गया है ; या

(iii) ऐसा कोई अन्य व्यष्टि अभिप्रेत होगा जिसका नाम सिक्किम प्रजा रजिस्टर में प्रविष्ट नहीं है किन्तु संदेह से परे यह सिद्ध हो गया है कि ऐसे व्यष्टि के पिता या पति या दादा या उसी पिता से भाई का नाम उस रजिस्टर में अभिलिखित किया गया है ;";

(ख) खंड (29क) में उपखंड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2009 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

1953 का 45

"(ज) कयर उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 4 के अधीन स्थापित कयर बोर्ड ;";

(ग) खंड (42) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(43) किसी व्यष्टि को धारा 47 के खंड (xvi) में निर्दिष्ट प्रतिवर्ती बंधक के संव्यवहार में ऋण के रूप में, चाहे एकमुश्त या किश्तों में, प्राप्त कोई आय ।"।

धारा 35 का संशोधन ।

5. आय-कर अधिनियम की धारा 35 में 1 अप्रैल, 2009 से,—

(क) उपधारा (1) के खंड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(iiक) किसी ऐसी राशि के एक सही एक बटा चार गुणा के बराबर कोई ऐसी रकम, जो किसी कंपनी को उसके द्वारा किसी वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रयुक्त किए जाने हेतु संदत्त की गई हो :

परंतु ऐसी कंपनी,—

(अ) भारत में रजिस्ट्रीकृत हो,

(आ) उसका मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान और विकास करने का हो,

(इ) उसे इस खंड के प्रयोजनों के लिए तत्समय विहित रीति में विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया हो, और

(ई) वह ऐसी अन्य शर्तों को पूरा करती हो जो विहित की जाएं ;";

(ख) उपधारा (2कख) के खंड (5) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— 5

"(6) उपधारा (1) के खंड (iiक) के उपखंड (इ) के अधीन अनुमोदित किसी कंपनी को खंड (1) में निर्दिष्ट ऐसे व्यय की बाबत, जो 31 मार्च, 2008 के पश्चात् उपगत किया गया है, कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।"।

धारा 35घ का संशोधन।

6. आय-कर अधिनियम की धारा 35घ में 1 अप्रैल, 2009 से,—

(क) "औद्योगिक उपक्रम" शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, "उपक्रम" शब्द रखा जाएगा ;

(ख) "औद्योगिक एकक" शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, "एकक" शब्द रखा जाएगा । 10

धारा 36 का संशोधन।

7. आय-कर अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (1) में, खंड (xiv) के पश्चात् निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2009 से अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

'(xv) निर्धारिती द्वारा पूर्ववर्ष के दौरान अपने कारबार के अनुक्रम में किए गए कराधेय प्रतिभूति संव्यवहारों की बाबत संदत्त प्रतिभूति संव्यवहार कर के बराबर रकम, यदि ऐसे कराधेय प्रतिभूति संव्यवहारों से उद्भूत होने वाली आय "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन संगणित आय में सम्मिलित की गई है । 15

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "प्रतिभूति संव्यवहार कर" और "कराधेय प्रतिभूति संव्यवहार" पदों के वही अर्थ होंगे जो वित्त (सं0 2) अधिनियम, 2004 के अध्याय 7 में हैं ; 2004 का 23

(xvi) निर्धारिती द्वारा पूर्ववर्ष के दौरान अपने कारबार के अनुक्रम में किए गए कराधेय वस्तु संव्यवहारों की बाबत संदत्त वस्तु संव्यवहार कर के बराबर रकम, यदि कराधेय वस्तु संव्यवहारों से उद्भूत होने वाली ऐसी आय "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन संगणित आय में सम्मिलित की गई है । 20

स्पष्टीकरण--इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "वस्तु संव्यवहार कर" और "कराधेय वस्तु संव्यवहार" पदों के वही अर्थ होंगे जो वित्त अधिनियम, 2008 के अध्याय 7 में हैं ।'।

धारा 40 का संशोधन।

8. आय-कर अधिनियम की धारा 40 के खंड (क) के उपखंड (iख) का 1 अप्रैल, 2009 से लोप किया जाएगा।

धारा 40क का संशोधन।

9. आय-कर अधिनियम की धारा 40क की उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं 1 अप्रैल, 2009 से रखी जाएंगी, अर्थात् :— 25

"(3) जहां निर्धारिती कोई ऐसा व्यय उपगत करता है जिसकी बाबत किसी व्यक्ति को एक दिन में किया गया संदाय या कुल संदाय बीस हजार रुपए से अधिक राशि के बैंक पर लिखे पाने वाले के खाते में देय चेक या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट से भिन्न किसी अन्य रीति से किया जाता है वहां ऐसे व्यय की बाबत कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

(3क) जहां किसी व्यय के लिए निर्धारिती द्वारा उपगत किसी व्यय की बाबत किसी वर्ष के निर्धारण में मोक अनुज्ञात किया गया है और बाद में किसी पूर्ववर्ष के दौरान (जिसे इसमें इसके पश्चात् पश्चात्वर्ती वर्ष कहा गया है) निर्धारिती उसकी बाबत संदाय बैंक पर लिखे पाने वाले के खाते में देय चेक से या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट से भिन्न किसी अन्य रीति से करता है वहां इस प्रकार किया गया संदाय कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ समझे जाएंगे तथा तदनुसार यदि किसी दिन व्यक्ति को किया गया संदाय या कुल संदाय बीस हजार रुपए से अधिक है तो पश्चात्वर्ती वर्ष की आय के रूप में आय-कर से प्रभार्य होगी : 30 35

परंतु जहां बीस हजार रुपए से अधिक का कोई संदाय या कुल संदाय किसी दिन में, किसी व्यक्ति को बैंक पर लिखे गए पाने वाले के खाते में देय चेक या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट से भिन्न किसी रीति में किया जाता है वहां ऐसे मामलों में और ऐसी परिस्थितियों के अधीन, जो विहित की जाएं, उपलब्ध बैंककारी सेवाओं की प्रकृति और सीमा, कारबार की समीचीनता तथा अन्य सुसंगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कोई अन्य अनुज्ञा नहीं दी जाएगी और कोई संदाय उपधारा (3) और इस उपधारा के अधीन कारबार या वृत्ति का लाभ और अभिलाभ नहीं माना जाएगा ।"। 40

धारा 43 का संशोधन।

10. आय-कर अधिनियम की धारा 43 के खंड (6) के स्पष्टीकरण 5 के पश्चात निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 अप्रैल, 2003 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण 6**—जहां कोई निर्धारिती विचाराधीन निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष से पूर्ववर्ती किसी पूर्ववर्ष या वर्षों के लिए इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अपनी कुल आय की संगणना करने के लिए अपेक्षित नहीं था वहां,—

(क) किसी आस्ति की वास्तविक लागत को लेखा बहियों में ऐसी आस्ति के, यदि कोई हो, पुनर्मूल्यांकन के कारण मानी जा सकने वाली रकम से समायोजित किया जाएगा ; 45

(ख) ऐसी आस्ति पर अवक्षयण की कुल रकम से जो विचाराधीन निर्धारण वर्ष में सुसंगत पूर्ववर्ष से पूर्ववर्ती ऐसे पूर्ववर्ष या वर्षों की बाबत निर्धारिती की लेखा बहियों में दी गई है, इस खंड के प्रयोजनों के लिए इस अधिनियम के अधीन वास्तव में अनुज्ञात अवक्षयण समझा जाएगा ; और

(ग) खंड (ख) के अधीन वास्तव में अनुज्ञात अवक्षयण को आस्ति के ऐसे पुनर्मूल्यांकन के कारण मान्य अवक्षयण की रकम से समायोजित किया जाएगा ।"।

11. आय-कर अधिनियम की धारा 47 में,— धारा 47 का संशोधन।

(क) खंड (x) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(xक) धारा 115कग की उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट बंधपत्रों का किसी कंपनी के शेयरों या डिबेंचरों में परिवर्तन के रूप में कोई अंतरण ;" ;

(ख) खंड (xv) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(xvi) केंद्रीय सरकार द्वारा बनाई गई और अधिसूचित की गई स्कीम के अधीन प्रतिवर्ती बंधक के संव्यवहार में किसी पूंजी आस्ति का कोई अंतरण ।"।

12. आय-कर अधिनियम की धारा 49 की उपधारा (2क) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :— धारा 49 का संशोधन।

"(2क) जहां पूंजी आस्ति, जो किसी कंपनी का शेयर या डिबेंचर है, धारा 47 के खंड (x) या खंड (xक) में निर्दिष्ट अंतरण के प्रतिफलस्वरूप निर्धारिती की संपत्ति हो गई है, वहां निर्धारिती को आस्ति के अर्जन की लागत ऐसे डिबेंचर, डिबेंचर स्टाक, बंधपत्र या निक्षेप प्रमाणपत्र की, जिसकी बाबत ऐसी आस्ति निर्धारिती द्वारा अर्जित की गई है, लागत का भाग समझी जाएगी ।"।

13. आय-कर अधिनियम की धारा 80ग में,— धारा 80ग का संशोधन।

(क) उपधारा (2) में, खंड (xxii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(xxiii) वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम नियम, 2004 के अधीन किसी खाते में ;

(xxiv) डाकघर सावधि जमा नियम, 1981 के अधीन किसी खाते में पांच वर्षीय सावधि जमा के रूप में ।";

(ख) उपधारा (6) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(6क) यदि कोई रकम, जिसके अंतर्गत उस पर प्रोद्भूत ब्याज भी है, निर्धारिती द्वारा, उसके निक्षेप की तारीख से पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति से पूर्व उपधारा (2) के खंड (xxiii) या खंड (xxiv) में निर्दिष्ट उसके खाते से निकाली जाती है तो इस प्रकार निकाली गई रकम उस पूर्ववर्ष में, जिसमें रकम निकाली जाती है, निर्धारिती की आय समझी जाएगी और ऐसे पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष में कर के लिए दायी होगी :

परंतु कर के लिए दायी रकम में निम्नलिखित रकमें सम्मिलित नहीं होंगी, अर्थात् :—

(i) उपधारा (2) के खंड (xxiii) या खंड (xxiv) में निर्दिष्ट निक्षेपों के संबंध में ब्याज की कोई रकम, जो पूर्ववर्ष या ऐसे पूर्ववर्ष से पूर्ववर्ती वर्षों की निर्धारिती की कुल आय में सम्मिलित की गई है ; और

(ii) ऐसे निर्धारिती की मृत्यु पर निर्धारिती के नामनिर्देशिती या विधिक वारिस द्वारा उस पर प्रोद्भूत ब्याज से भिन्न, यदि कोई हो, प्राप्त कोई रकम जो ऐसे पूर्ववर्ष से पूर्ववर्ती पूर्ववर्ष या वर्षों के लिए निर्धारिती की कुल आय में सम्मिलित नहीं की गई थी ।"।

14. आय-कर अधिनियम की धारा 80घ के स्थान पर निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2009 से रखी जाएगी, अर्थात् :— धारा 80घ के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

'80घ. (1) किसी निर्धारिती की, जो कोई व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब है, कुल आय की संगणना करने में उपधारा (2) या उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट ऐसी राशि की कटौती की जाएगी जिसका संदाय उसकी कर से प्रभार्य आय में से, पूर्ववर्ष में नकद से भिन्न किसी ढंग से किया गया है । स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम की बाबत कटौती।

(2) जहां निर्धारिती कोई व्यष्टि है वहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट राशि निम्नलिखित का योग होगी, अर्थात् :—

(क) निर्धारिती या उसके कुटुंब के स्वास्थ्य का बीमा कराने या उसे प्रवृत्त रखने के लिए संदत्त संपूर्ण रकम जो कुल मिलाकर पंद्रह हजार रुपए से अधिक नहीं हो ; और

(ख) निर्धारिती के माता-पिता के स्वास्थ्य का बीमा कराने या उसे प्रवृत्त रखने के लिए संदत्त संपूर्ण रकम जो कुल मिलाकर पंद्रह हजार रुपए से अधिक नहीं हो ।

स्पष्टीकरण—खंड (क) के प्रयोजनों के लिए, "कुटुंब" से निर्धारिती का पति या पत्नी और उसके आश्रित बालक अभिप्रेत हैं ।